"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 619] रायपुर, बुधवार, दिनांक 3 दिसम्बर 2014— अग्रहायण 12, शक 1936

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-5/2014/18. — छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 433 सहपठित धारा 14 की उप-धारा (2) तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 355 सहपठित धारा 32 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ नगर पालिका निर्वाचन नियम, 1994 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, -

1. नियम 73 में शब्द तथा अंक "रिटर्निंग आफिसर प्ररूप 23" के पश्चात् शब्द तथा अंक "तथा मतदान मशीन के माध्यम से मतदान के मामले में प्ररूप 23क" अन्त:स्थापित किया जाए.

2. नियम 74 में शब्द एवं अंक "रिटर्निंग आफिसर प्ररूप 23" के पश्चात् शब्द तथा अंक "तथा मतदान मशीन के माध्यम से मतदान के मामले में प्ररूप 23क" अन्त:स्थापित किया जाए.

3. प्ररूप-23 के पश्चात्, निम्नलिखित अत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"प्ररूप-23क
(नियम 74 देखिए)

निर्वाचन की घोषणा-सह-विवरण

नगर पालिक निगम के महापौर/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत .... के अध्यक्ष का निर्वाचन
※नगर पालिक निगम/परिषद्/नगर पंचायत .... के वार्ड क्रमांक .... से पार्षद का निर्वाचन ※

(1) निर्वाचन की विवरणी

स. क्र.	अभ्यर्थी का नाम/ "उपर्युक्त में से कोई नहीं" **	दल से सम्बद्धता	प्राप्त हुए मतों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			

मतदाताओं की कुल संख्या ....
डाले गये विधिमान्य मतों की कुल संख्या ....
अविधिमान्य मतों की कुल संख्या ....
"उपर्युक्त में से कोई नहीं" के पक्ष में डाले गए मतों की कुल संख्या ....
अंडर वोट/नो वोट मतों की कुल संख्या ....
अधूरे मतों की कुल संख्या...

(2) विवरणी के अधार पर निर्वाचन की घोषणा

मैं घोषित करता हूं कि -

.... (नाम)

.... (पता)

....

सम्यक् रूप में निर्वाचित हुए हैं/हुई है.

स्थान ....

तारीख......................................

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)
नाम ....
सील ....

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.
** अंतिम अभ्यार्थी के पश्चात् "उपर्युक्त में से कोई नहीं" के विवरण का उल्लेख किया जाए.

टिप्पणी-किन्हीं अभ्यार्थियों के बीच मतों की साम्यता की दशा में नियम 73 में अधिकथित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2014

क्रमांक एफ 1-5/2014/18. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-5/2014/18, दिनांक 03-12-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप-सचिव.

Raipur, the 3rd December 2014

NOTIFICATION

No. F 1-5/2014/18. — In exercise of the powers conferred by Section 433 read with sub-section (2) of Section 14 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Section 355 read with sub-section (2) of the Section 32 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government in consultation with the State Election Commission, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Nagar Palika Nirvachan Niyam, 1994, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. In rule 73, after the words and figures "declaration cum return of election in Form 23", the words and figures "and in case of voting through voting machine in form-23A" shall be inserted.

2. In rule 74, after the words and figures "declaration-cum-return of election in form 23", the word and figure "and in case of voting through voting machine in form-23A" shall be inserted.

3. After Form-23, the following shall be inserted, namely :-

"Form-23 A
(See rule 74)
DECLARATION-CUM-RETURN OF ELECTION

Election of *Mayor of Municipal Corporation/President of Muncipal Council/Nagar Panchayat ....
* Election of Council from ward No. .... of * Municipal Corporation/Council/Nagar Panchayat * ....

(1) RETURN OF ELECTION

S. No.	Name of Candidate/ "None of the above" **	Party Affiliation	No. of Votes polled
(1)	(2)	(3)	(4)

Total number of voters ....
Total number of valid votes Polled ....
Total number of rejected votes ....
Total number of voters in favour of "None of the above"..
Total number of under votes/No votes ....
Total number of unfinished votes ....

(2). DECLARATION OF ELECTION ON THE BASIS OF RETURN

I declare that :

.... (Name)

of ....(Address)

has been duly elected.

Place ....
Date ....

....
Returning Officer (Municipality)
(Name ....)
(Seal ....)

---

* Strike off the inappropriate alternative.
** Mention return of "None of the above" after last candidate.

Note : In case of equality of votes between any candidates the procedure as laid down in rule 73 shall be followed."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.